भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3379

दिनांक 26.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति

3379. श्री वीर सिंहः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के लिए कोई परियोजना लाने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत शामिल होने की संभावना वाले जिलों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है, उत्तर–प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस. एस. अहलूवालिया)

(क) से (ग) मंत्रालय ने 2017-2030 के लिए रणनीतिक लक्ष्य तैयार किया है जिसमें मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक “हर घर जल” प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है अर्थात् राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के जरिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी)-2030 पर सहमति देते समय अंतर्राष्ट्रीय मंच में देश द्वारा की गई प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए अंततः वर्ष 2030 तक ग्रामीण आबादी को नल जल आपूर्ति और घरेलू कनेक्शन द्वारा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने दिनांक 10.11.2017 को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का पुनर्गठन किया है ताकि इसे प्रतिस्पर्धी. लक्ष्य आधारित और परिणाम उन्मुख बनाया जा सके जिससे उन सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत, पूर्णतया कवर बसावटों (अर्थात 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाली), आंशिक रूप से कवर बसावटों (अर्थात 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाली) और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों (अर्थात कम से कम एक संदूषक वाला पेयजल) के संबंध में ग्रामीण जल आपूर्ति कवरेज संबंधी सूचना का रखरखाव किया जाता है। मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा प्रविष्ट सूचना के अनुसार, इससे संबंधित राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

अनुलग्नक

26.03.2018 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3379 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 21.03.2018 की स्थिति के अनुसार पेयजलापूर्ति के संबंध में ग्रामीण बसावटों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	बसावटों की कुल संख्या	पूर्ण रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार	400	324	76	0
2	आंध्र प्रदेश	48363	33434	14512	417
3	अरुणाचल प्रदेश	7582	2922	4629	31
4	असम	88099	52841	24239	11019
5	बिहार	110234	67395	38627	4212
6	छत्तीसगढ़	74685	70510	3013	1162
7	गोवा	347	345	2	0
8	गुजरात	36066	36065	1	0
9	हरियाणा	7948	7610	211	127
10	हिमाचल प्रदेश	53604	43015	10589	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	15958	9002	6940	16
12	झारखंड	120764	117045	894	2825
13	कर्नाटक	60248	25282	33947	1019
14	केरल	21551	4943	16247	361
15	मध्य प्रदेश	128061	127797	78	186
16	महाराष्ट्र	99732	87232	12228	272
17	मणिपुर	3788	2237	1551	0
18	मेघालय	10475	1786	8657	32
19	मिजोरम	738	472	266	0
20	नागालैंड	1452	680	742	30
21	ओडिशा	157773	139191	15558	3024
22	पुडुचेरी	266	153	113	0
23	पंजाब	15384	10116	1742	3526
24	राजस्थान	121648	56750	45241	19657
25	सिक्किम	2084	755	1329	0
26	तमिलनाडु	100204	93642	6369	193
27	तेलंगाना	24562	14017	9501	1044
28	त्रिपुरा	8723	4587	1598	2538
29	उत्तर प्रदेश	260027	256303	2345	1379
30	उत्तराखंड	39360	22315	17029	16
31	पश्चिम बंगाल	105905	52230	35769	17906
Total		**1726031**	**1340996**	**314043**	**70992**

स्रोत: आईएमआईएस फॉर्मेट सी 17